REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062025-263574 CG-DL-E-03062025-263574

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 321]नई दिल्ली, मंगलवार, जून 3, 2025/ज्येष्ठ 13, 1947No. 321]NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 3, 2025/JYAISTHA 13, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2025

सा.का.नि. 364(अ).—केंद्रीय सरकार, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु: -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है।) के नियम 5 में उपनियम
(2) के खंड (क) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक और स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थातु:-

"परंतु यह और कि जहां विशेष आर्थिक जोन की स्थापना अनन्य रूप से अर्धचालकों या इलेक्ट्रॉनिक संघटकों के विनिर्माण के लिए की जाती है, वहां समीपस्थ भूमि जोन दस हेक्टेयर या उससे अधिक होगा।

स्पष्टीकरण. - इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक संघटकों के अंतर्गत डिस्प्ले मॉड्यूल सब-असेम्बली, कैमरा मॉड्यूल सब-असेम्बली, बैटरी सब-असेम्बली, विभिन्न प्रकार की अन्य मॉड्यूल सब-असेम्बलियां, मुद्रित सर्किट बोर्ड, बैटरियों के लिए ली-आयन सेल, मोबाइल और सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर संघटक, श्रवणीय और पहनने योग्य उपकरण आते हैं।" मूल नियम के नियम 7 के उपनियम (1) में परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि बोर्ड उन दशाओं में विल्लंगम मुक्त जोन की शर्त शिथिल कर सकता है, जहां जोन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उनके प्राधिकृत अभिकरणों को बंधक या पट्टे पर दिया गया है, जिसके लिए कारणों को लेखबद्ध किया जाए।"

4. मूल नियम के नियम 18 के उपनियम (6) में, -

(i) खंड *(क)* में, ''जाएगा'', शब्द के स्थान पर "जा सकेगा " शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड *(ग)* के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(ग) तैयार माल देश से बाहर निर्यात किया जाएगा या विदेशी इकाई द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले सीमाशुल्क बंधित भांडागार में स्थानांतरित किया जाएगा या लागू शुल्कों के संदाय के साथ घरेलू टैरिफ जोन में आपूर्ति की जाएगी या विदेशी इकाई के अनुदेशों के अनुसार उसी या भिन्न विशेष आर्थिक जोन में विदेशी इकाई द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले मुक्त व्यापार और भांडागार जोन यूनिट में स्थानांतरित किया जाएगा;"

5. मूल नियमों के नियम 53 में, पैरा (घ) के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ङ) अर्धचालक क्षेत्र में विनिर्माण सेवाएं प्रदान करने वाली यूनिटों के लिए, प्राप्त माल के मूल्य के साथ-साथ निशुल्क आधार पर आपूर्ति किए गए माल के मूल्य को शुद्ध विदेशी मुद्रा गणना में शामिल किया जाएगा और ऐसा मूल्य यथा लागू सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमों के अनुसार अवधारित किया जाएगा।"

 मूल नियमों में, उपाबंध 2 में, क्रम संख्या 3 के सामने, खंड (4) में, "20 हेक्टेयर" अंकों और शब्द के स्थान पर "4 हेक्टेयर" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. के-43022/150/2024-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 54(अ), तारीख 10 फरवरी, 2006 द्वारा प्रकाशित हुए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 786(अ), तारीख 26 दिसंबर, 2024 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2025

G.S.R. 364(E).— In exercise of the powers conferred by section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely–

1. (1) These rules may be called the Special Economic Zones (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Special Economic Zone Rules, 2006 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 5, in sub-rule (2), in clause (a), after the proviso, the following proviso and Explanation shall be inserted, namely–

"Provided further that where a Special Economic Zone is exclusively set up for manufacturing of semiconductors or electronic components, the contiguous land area shall be ten hectares or more.

Explanation. - For the purposes of this proviso, the electronic components include display module sub-assembly, camera module sub-assembly, battery sub-assembly, various types of other module sub-assemblies, printed circuit board, li-ion cells for batteries, mobile and information technology hardware components, hearables and wearables."

3. In the principal rules, in rule 7, in sub-rule (1), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely: –

"Provided further that the Board may relax the condition of encumbrance free area, in cases where the area is mortgaged or leased to the Central Government or State Government, or their authorized agency on mortgage or for lease, for reasons to be recorded in writing."

4. In the principal rules, in rule 18, in sub-rule (6), –

(i) in clause (a) for the word "shall", the word "may" shall be substituted;

(ii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely: -

"(c) finished goods shall be exported out of the country or transferred to the Customs Bonded Warehouse to be maintained by the Overseas Entity or supplied to the Domestic Tariff Area with payment of applicable duties or transferred to the Free Trade and Warehousing Zone Unit to be maintained by the Overseas Entity in the same or different Special Economic Zone as per the instructions of the Overseas Entity;"

5. In the principal rules, in rule 53, after paragraph D, the following paragraph shall be inserted, namely: –

"(E) For units providing manufacturing services in the semiconductor sector, value of goods received as well as value of goods supplied on free of cost basis shall be included in Net Foreign Exchange calculations and such value shall be determined in accordance with the customs valuation rules, as applicable."

6. In the principal rules, in Annexure II, against serial no. 3, in column (4), for the figures and word "20 hectares", the figures and word "4 hectares" shall be substituted.

[F. No. K-43022/150/2024-SEZ]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part -II, Section3, Sub-section(*i*) vide notification number G.S.R 54(E) dated the 10th February, 2006 and lastly amended vide notification number G.S.R. 786(E) dated the 26th December, 2024.